तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्री बद्रीराम पुत्र कानाराम जाट निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर** **: ब ना म :** **स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, देशनोक जिला बीकानेर** किस्म मुकदमा विविध (प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 **मुकदमा संख्या 87/19**

आदेश

22.10.19

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रविराजसिंह भाटी हाजिर। स्टेट की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी पशु पालक है। प्रार्थी की आजीविका पशुपालन है। प्रार्थी पशुधन चराने के लिए किराये के ट्रेक्टर ट्रोली में दिनांक 5.09.19 को 5 गाये व दो बछड़े ले जा रहा था। रात का समय होने व सिंगल रोड़ होने के कारण साईड नहीं दे पाने के कारण परिवादी नाराज हो गये और ट्रेक्टर को रोक लिया, मारपीट के डर से ड्राईवर, ट्रेक्टर ट्रॉली व गायो को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। ग्रामीणो ने एफ आई आर सं. 84 दिनांक 05.09.19 जुर्म दफा 5,6,8 राज. गौ वंशीय पशु अधिनियम दर्ज करवा दी। थानाधिकारी ने ट्रेक्टर ट्रॉली व गायो को जब्त कर गायो को गौशाला को सुपुर्द कर दिया। गायो के संबध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी को गायो का मालिक होने के कारण पुलिस थाना देशनोक से गायो व बछड़ो को सुपुर्द करने का आदेश फरमावे।

इसके खण्डन में अभियोजन अधिकारी (ए.पी.पी.) द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, देशनोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 05.09.19 को रात्रि एक बजे 2 ट्रेक्टर ट्रॉली में गौ वंश ठुंस ठुंस कर भरे हुए थे तथा तेज गति से चला रहे थे। परिवादी द्वारा रोकने का ईशारा करने पर ट्रेक्टर चालक लाल रंग का महिन्द्रा 265 डी.आई.ट्रेक्टर ट्रॉली सहित भाग गया। गौ वंश गलत प्रयोजन के लिए राज्य से बाहर भेजने की पूरी पूरी संभावना है। आरोपीगण की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अतः गायो, बछड़ो को सुपुर्दगी पर देना उचित नहीं होगा। अतः सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष को सुना व पत्रावली तथा पुलिस रिपोर्ट /पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा गायो/बछड़ो को चराने के लिए लेकर जाने संबधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, ना ही सरपं अथवा गांव के मौजिज व्यक्तियों की साक्ष्य पेश की तथा ना ही किसी प्रकार के लाईसेंस/परमिशन के लिये किये गये आवेदन की प्रति पेश की गई जिससे यह प्रतीत हो कि प्रार्थी गायो व बछड़ो को चराने के उद्धेश्य से अन्यत्र ले जा रहा था। प्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। बरामद की गयी 5 गाये व 2 बछड़ो की सुरक्षार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना, देशनोक को आदेश दिये जाते है कि प्रबंधक, श्री श्याम कृष्ण गौ शाला संस्था, बरसिंहसर तहसील, बीकानेर की गौ शाला मे रखा जावे। जब्तशुदा गाये व बछड़ो की सम्पूर्ण सुरक्षा व उनके चारे आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। थानाधिकारी थाना पुलिस देशनोक से प्राप्त उनकी मुल पत्रावली लौटाई जावे।

आदेश आज दिनांक **22.10.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर